Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"गुणवत्ता नियंत्रण"
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 159 /01 गु0नि0(सामान्य) / 17 दिनांकः– 23 / 05 / 2020

कार्यालय ज्ञाप

विभाग में मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) का पद सृजित होने के उपरान्त कार्यों की गुणवत्ता में ओर अधिक सुधार लाने हेतु निम्न प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।

वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को माह के पहले सप्ताह में साधारणतया चार कार्य नाम से आवंटित किये जायेंगें। इनमें सुधारात्मक व असन्तोषजनक कार्यों को ठीक किये जाने की पुष्टि के कार्य भी सम्मिलित होगें। प्रबल मानसून, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन व अन्य प्रकार की आपदा के समय में प्रभावित इलाकों में कार्य आवंटित नही किये जायेंगें। मार्च के महीने में भी कार्य आवंटित नहीं किये जायेंगें।

वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या, जिसमें कार्य की श्रेणी भी स्पष्ट रूप से अंकित हो मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को प्रेषित करनी चाहिये। इस आख्या की प्रति कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी प्रेषित की जानी चाहिये।

यदि निरीक्षण के दौरान किसी कार्य की श्रेणी सुधारात्मक या असन्तोषजनक प्राप्त होती है तो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वतः ही उस कार्य को ठीक कराने की कार्यवाही शुरू करके मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को कार्य को ठीक किये जाने की सम्भावित तिथि पत्र द्वारा सूचित करें, इसकी प्रति वे अपने अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य को ठीक करते ही अधिशासी अभियन्ता पत्र द्वारा मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें, प्रति अपने अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य ठीक किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही सुधारात्मक कार्य को ठीक किये जाने की पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके करेंगें। असन्तोषजनक कार्य को ठीक करने की पुष्टि मुख्य अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके करेंगें। अपनी निरीक्षण आख्या में वे कार्य की श्रेणी परिवर्तन की स्पष्ट संस्तुति दें। सुधारात्मक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की आख्या के आधार पर करेंगें। असन्तोषजनक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की आख्या के आधार पर करेंगें।

यदि अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता कार्य को ठीक कराने के प्रयास के उपरान्त भी कार्य को मानकों के अनुसार ठीक करने में असमर्थ रहते हैं तो अधिशासी अभियन्ता उन कनिष्ठ अभियन्ताओं, अपर सहायक अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं व ठेकेदारों के नाम जिनके कारण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें। मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) इन नामों को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

सम्पादित – कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप श्रेणी देते समय अधिकारियों को प्राविधिक स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुरूप टिप्पणी दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ठेकेदार ने कम चौड़ी सड़क काटी है और सम्बन्धित खण्ड ने इस हेतु नियमानुसार डिफैक्ट्स काट दिये है तो ऐसे कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी न दे कर सुधारात्मक श्रेणी इस रिमार्क के साथ दें कि काटी गई डिफैक्ट्स की धनराशि से शीघ्र ही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता डिफैक्ट कटिंग करायें। यदि सड़क कम चौड़ी कटी है और अंतिम देयक से नियमानुसार डिफैक्ट्स भी नहीं काटे गये हैं तो कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी दी जाये।

कार्यों को अधिकारी के नाम से आवंटित करने का कारण यह है कि यदि अधिकारी स्थानान्तरित अथवा पदोन्नत हो जाते हैं तो भी वे आवंटित कार्यों का निरीक्षण नयी जगह से करें, जिससे उस पद पर योगदान करने वाले नये अधिकारी पर अतिरिक्त भार न पड़े। किसी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने, रिवर्ट होने या उस पर अन्य कोई विपरीत कार्यवाही होने पर मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) उनको आवंटित अवशेष कार्यों को निरस्त करके नये सिरे से अन्य अधिकारियों को अगले माह आवंटित करेंगें।

अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का दायित्व है कि वे अपने अधीन खण्डों में तकनीकी स्टाफ को निर्माण कार्य के दौरान ही Quality Assurance हेतु संवेदनशील होने हेतु उत्साहित किया जाय ताकि अनुबन्ध अन्तिमीकरण तक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्राप्त की जा सके।

27/5/2020

(इं0 हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ... ।

2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग ....।

3– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग .... ।

4– आई0टी0 हैड को वैब साईट पर अपलोड हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
''गुणवत्ता नियंत्रण''
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 159 / 01 गु0नि0(सामान्य) / 17 दिनांकः– 23 / 05 / 2020

कार्यालय ज्ञाप

विभाग में मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) का पद सृजित होने के उपरान्त कार्यों की गुणवत्ता में ओर अधिक सुधार लाने हेतु निम्न प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।

वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को माह के पहले सप्ताह में साधारणतया चार कार्य नाम से आवंटित किये जायेगें। इनमें सुधारात्मक व असन्तोषजनक कार्यों को ठीक किये जाने की पुष्टि के कार्य भी सम्मिलित होंगें। प्रबल मानसून, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन व अन्य प्रकार की आपदा के समय में प्रभावित इलाकों में कार्य आवंटित नहीं किये जायेंगें। मार्च के महीने में भी कार्य आवंटित नहीं किये जायेंगें।

वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या, जिसमें कार्य की श्रेणी भी स्पष्ट रुप से अंकित हो मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को प्रेषित करनी चाहियें। इस आख्या की प्रति कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी प्रेषित की जानी चाहिये।

यदि निरीक्षण के दौरान किसी कार्य की श्रेणी सुधारात्मक या असन्तोषजनक प्राप्त होती है तो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वतः ही उस कार्य को ठीक कराने की कार्यवाही शुरू करके मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को कार्य को ठीक किये जाने की सम्भावित तिथि पत्र द्वारा सूचित करें, इसकी प्रति वे अपने अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य को ठीक करते ही अधिशासी अभियन्ता पत्र द्वारा मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें, प्रति अपने अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य ठीक किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही सुधारात्मक कार्य को ठीक किये जाने की पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके करेंगें। असन्तोषजनक कार्य को ठीक करने की पुष्टि मुख्य अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके करेंगें। अपनी निरीक्षण आख्या में वे कार्य की श्रेणी परिवर्तन की स्पष्ट संस्तुति दें। सुधारात्मक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की आख्या के आधार पर करेंगें। असन्तोषजनक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की आख्या के आधार पर करेंगें।

यदि अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता कार्य को ठीक कराने के प्रयास के उपरान्त भी कार्य को मानकों के अनुसार ठीक करने में असमर्थ रहते हैं तो अधिशासी अभियन्ता उन कनिष्ठ अभियन्ताओं, अपर सहायक अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं व ठेकेदारों के नाम जिनके कारण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें। मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) इन नामों को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

सम्पादित – कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप श्रेणी देते समय अधिकारियों को प्राविधिक स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुरूप टिप्पणी दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ठेकेदार ने कम चौडी सडक काटी है और सम्बन्धित खण्ड ने इस हेतु नियमानुसार डिफैक्ट्स काट दिये हैं तो ऐसे कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी न दे कर सुधारात्मक श्रेणी इस रिमार्क के साथ दें कि काटी गई डिफैक्ट्स की धनराशि से शीघ्र ही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता डिफैक्ट कटिंग करायें। यदि सडक कम चौडी कटी है और अंतिम देयक से नियमानुसार डिफैक्ट्स भी नहीं काटे गये हैं तो कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी दी जाये।

कार्यों को अधिकारी के नाम से आवंटित करने का कारण यह है कि यदि अधिकारी स्थानान्तरित अथवा पदोन्नत हो जाते हैं तो भी वे आवंटित कार्यों का निरीक्षण नयी जगह से करें, जिससे उस पद पर योगदान करने वाले नये अधिकारी पर अतिरिक्त भार न पडे। किसी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने, रिवर्ट होने या उस पर अन्य कोई विपरीत कार्यवाही होने पर मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) उनको आवंटित अवशेष कार्यों को निरस्त करके नये सिरे से अन्य अधिकारियों को अगले माह आवंटित करेंगें।

अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का दायित्व है कि वे अपने अधीन खण्डों में तकनीकी स्टाफ को निर्माण कार्य के दौरान ही Quality Assurance हेतु संवेदनशील होने हेतु उत्साहित किया जाय ताकि अनुबन्ध अन्तिमीकरण तक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्राप्त की जा सके।

(इं0 हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ... ।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग .... ।
3– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग .... ।
4– आई0टी0 हैड को वैब साईट पर अपलोड हेतु।

22/5/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"गुणवत्ता नियंत्रण"
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
E-Mail- cepwdua@gmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

दिनांकः- 23/05/2020

पत्रांकः- 159 /01 गु0नि0(सामान्य)/17

कार्यालय ज्ञाप

विभाग मे मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) का पद सृजित होने के उपरान्त कार्यो की गुणवत्ता में
लागू की जा रही है।
और अधिक सुधार लाने हेतु निम्न प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को माह के पहले सप्ताह में साधारणतया
चार कार्य नाम से आवंटित किये जायेंगे। इनमें सुधारात्मक व असन्तोषजनक कार्यों को ठीक किये जाने की पुष्टि
के कार्य भी सम्मिलित होंगे। प्रबल मानसून, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन व अन्य प्रकार की आपदा के समय में प्रभावित
इलाकों में कार्य आवंटित नहीं किये जायेंगे। मार्च के महीने में भी कार्य आवंटित नहीं किये जायेंगे।

वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं व क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यों का स्थलीय
निरीक्षण कर आख्या, जिसमें कार्य की श्रेणी भी स्पष्ट रुप से अंकित हो मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को
प्रेषित करनी चाहिये। इस आख्या की प्रति कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य
अभियन्ता को भी प्रेषित की जानी चाहिये।

यदि निरीक्षण के दौरान किसी कार्य की श्रेणी सुधारात्मक या असन्तोषजनक प्राप्त होती है तो कार्य से
सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वतः ही उस कार्य को ठीक कराने की कार्यवाही शुरू करके मुख्य अभियन्ता
(गुणवत्ता नियंत्रण) को कार्य को ठीक किये जाने की सम्भावित तिथि पत्र द्वारा सूचित करें, इसकी प्रति वे अपने
अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य को ठीक करते ही अधिशासी अभियन्ता पत्र द्वारा मुख्य
अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें, प्रति अपने अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को भी दें। कार्य
ठीक किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही सुधारात्मक कार्य को ठीक किये जाने की पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता स्थलीय
निरीक्षण करके करेंगे। असन्तोषजनक कार्य को ठीक करने की पुष्टि मुख्य अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके करेंगे।
अपनी निरीक्षण आख्या में वे कार्य की श्रेणी परिवर्तन की स्पष्ट संस्तुति दें। सुधारात्मक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन
मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की
आख्या के आधार पर करेंगे। असन्तोषजनक कार्य की श्रेणी का परिवर्तन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सम्बन्धित
मुख्य अभियन्ता की स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति की आख्या के आधार पर करेंगे।

यदि अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता कार्य को ठीक कराने के प्रयास के
उपरान्त भी कार्य को मानकों के अनुसार ठीक करने में असमर्थ रहते हैं तो अधिशासी अभियन्ता उन कनिष्ठ
अभियन्ताओं, अपर सहायक अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं व ठेकेदारों के नाम जिनके
कारण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं किया गया, मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को सूचित करें। मुख्य
अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) इन नामों को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत
करें।

सम्पादित – कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप श्रेणी देते समय अधिकारियों को प्राविधिक स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुरूप टिप्पणी दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ठेकेदार ने कम चौड़ी सड़क काटी है और सम्बन्धित खण्ड ने इस हेतु नियमानुसार डिफैक्ट्स काट दिये हैं तो ऐसे कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी न दे कर सुधारात्मक श्रेणी इस रिमार्क के साथ दें कि काटी गई डिफैक्ट्स की धनराशि से शीघ्र ही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता डिफैक्ट कटिंग करायें। यदि सड़क कम चौड़ी कटी है और अंतिम देयक से नियमानुसार डिफैक्ट्स भी नहीं काटे गये हैं तो कार्य को असन्तोषजनक श्रेणी दी जाये।

कार्यों को अधिकारी के नाम से आवंटित करने का कारण यह है कि यदि अधिकारी स्थानान्तरित अथवा पदोन्नत हो जाते हैं तो भी वे आवंटित कार्यों का निरीक्षण नयी जगह से करें, जिससे उस पद पर योगदान करने वाले नये अधिकारी पर अतिरिक्त भार न पड़े। किसी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने, रिवर्ट होने या उस पर अन्य कोई विपरीत कार्यवाही होने पर मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) उनको आवंटित अवशेष कार्यों को निरस्त करके नये सिरे से अन्य अधिकारियों को अगले माह आवंटित करेंगें।

अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का दायित्व है कि वे अपने अधीन खण्डों में तकनीकी स्टाफ को निर्माण कार्य के दौरान ही Quality Assurance हेतु संवेदनशील होने हेतु उत्साहित किया जाय ताकि अनुबन्ध अन्तिमीकरण तक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्राप्त की जा सके।

22/5/2020

(इं0 हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1– समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ... ।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग ....।
3– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग .... ।
4– आई0टी0 हैड को वेब साईट पर अपलोड हेतु।

22/5/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून